

24312
(SPP)

प्रेषक,

रमेश कुमार सुंधाशु
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे.

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
निर्माण अनुभाग-2

विषय:-वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र मंगलौर के अन्तर्गत विभिन्न 08 कार्यों हेतु (विस्तृत आगणन) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे.का., लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विभिन्न 08 विस्तृत आगणनों, जिनकी लम्बाई कमशः ₹ 0.500, ₹ 0.600, ₹ 0.500, ₹ 0.800, ₹ 0.500, ₹ 0.500, ₹ 0.500 एवं ₹ 1.100 कि०मी० एवं लागत कमशः ₹ 37.54 लाख, ₹ 37.04 लाख, ₹ 35.65 लाख, ₹ 55.06 लाख, ₹ 39.30 लाख, ₹ 36.22 लाख, ₹ 36.24 लाख एवं ₹ 43.58 लाख है, लोक निर्माण विभाग पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि कमशः ₹ 17.38 लाख, ₹ 13.17 लाख, ₹ 14.64 लाख, ₹ 24.24 लाख, ₹ 19.79 लाख, ₹ 14.74 लाख, ₹ 14.75 लाख एवं ₹ 43.58 लाख कुल ₹ 162.29 लाख (₹ एक करोड़ बासठ लाख उनतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख की दर से 08 कार्यों हेतु ₹ 0.80 लाख (₹ अस्सी हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i) विस्तृत आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।

(iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debit able आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

(vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

संख्या- 622 /III(2)/20-33(एम.एल.ए.)/2017T.C.

श्री ऋषि

24312

देहरादून : दिनांक २० मार्च, 2021

645

(ix) यदि संलग्न कार्यों में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रैक्यौरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।


(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2021 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, लेखाशीर्षक-5054 सङ्कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सङ्कों-337 सङ्क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-1035/XXVII(2)/2021 दिनांक 19 मार्च 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकःयथोपरि।


भवदीप
(रमेश कुमार सुधाशु)
प्रमुख सचिव।

संख्या— (1)/III(2)/21-33(एम.एल.ए.)/2017T.C तद् दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोर्टर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लक्ष्मणपुर।
11. गाई फाईल।

आज्ञा से,


(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई कि०मी० में	शासन द्वारा अनु. लागत (लाख ₹ में)	चालू वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1.	राज्य योजना 2019-20 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र मंगलौर में ग्राम घोसीपुरा सिकर में खुशीद के खेत से इरफान के खेत तक इन्टरलॉकिंग टाइल्स एवं पुलिया का निर्माण कार्य	0.500	17.38	0.10
2.	राज्य योजना 2019-20 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र मंगलौर में ग्राम टाण्डा भनेडा में बाबूराम के खेत से मुंशी युनुस के द्यूबवैल तक सी०सी० इन्टरलॉकिंग टाइल्स मार्ग का निर्माण कार्य	0.600	13.17	0.10
3.	राज्य योजना 2019-20 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र मंगलौर के ग्राम टिकोला में रामपाल पोकी के खेत से चौधरी राजबीर के खेत तक सी०सी० इन्टरलॉकिंग टाइल्स मार्ग निर्माण कार्य	0.500	14.64	0.10
4.	राज्य योजना 2019-20 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र मंगलौर के ग्राम भरतपुर में मेन रोड से राजबीर के खेत की और सी०सी० इन्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य	0.800	24.24	0.10
5.	राज्य योजना 2019-20 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र मंगलौर के ग्राम घोसीपुरा सीकर मौजे में ताहिर के खेत से इस्लाम के खेत की और सी०सी० इन्टरलॉकिंग टाइल्स व पुलिया निर्माण कार्य	0.500	19.79	0.10
6.	राज्य योजना 2019-20 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र मंगलौर के ग्राम मुण्डलाना मौजा हरजौली में रिजवान के खेत से मेन रोड तक सी०सी० इन्टरलॉकिंग टाइल्स निर्माण कार्य	0.500	14.74	0.10
7.	राज्य योजना 2019-20 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र मंगलौर के ग्राम मुण्डलाना मौजा हरजौली में इरफान के खेत से मेन रोड तक सी०सी० इन्टरलॉकिंग	0.500	14.75	0.10
8.	राज्य योजना 2019-20 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र मंगलौर के ग्राम भरतपुर में माइनर पुलिया से नसीरपुर मण्डावली-हरजौली जद मार्ग की और सी०सी० इन्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य	1.100	43.58	0.10
	योग:-	5.00	162.29	0.80


 (श्याम सिंह)
 संयुक्त सचिव।



IFMS
Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -622/III(2)/21-33(MLA)/2017TC
अनुदान संख्या-022

आवंटन आई डी-S21030220029
आवंटन पत्र दिनांक-20-MAR-2021

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
	337-सडक निर्माण कार्य
	02-नया निर्माण कार्य (5054-04- 800-03-02से स्थानान्तरित)

04-District and other Roads

03-राज्य सेक्टर

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्याय	योग
53-वृहद निर्माण	3770000	80000	0	3850000
योग	3770000	80000	0	3850000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.80,000 (Rupees Eighty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

✓

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
“नियोजन-१” उत्तराखण्ड देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

E-mail: ejcpwduk@nic.in

Web-<http://govt.ua.nic.in/pwd>

पत्रांक- २७८ /२० यातार्क' /२०२० दिनांक-२५ .०३.२०२१

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार
- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लक्सर।
- अधिशासी अभियन्ता, आई०टी०सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक / बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

वरिष्ठ पश्चात्यनिक अधिकारी
आरोग्य आपासो पक्ष
नया प्रमुख अधिकारी प्रतिवागाध्यय
जागतिक दृष्टिकोण